



**प्रेस नोट**  
**जनपद – सोनभद्र**  
**दिनांक – 03.04.2026**



**सोनभद्र पुलिस के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय सोनभद्र द्वारा हत्या के प्रकरण में दोषी पाये गये आरोपी को दी गई आजीवन कारावास की सजा-**

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय व श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन, श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर के कुशल पर्यवेक्षण व पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के नेतृत्व में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे '#Operation Conviction' अभियान के क्रम में सोनभद्र पुलिस को एक अहम सफलता प्राप्त हुई है। प्रभावी पैरवी एवं सशक्त पुलिस-न्याय प्रणाली के समन्वय से हत्या के दण्डनीय अपराध में आरोपी को माननीय न्याय एएसजे/सीएडब्ल्यू/एफटीसी सोनभद्र द्वारा आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

**प्रकरण का विवरण:**

थाना: बभनी, जनपद सोनभद्र

मु0अ0सं0:- 58/2023

धारा:- 302, 201 भादवि

**अभियुक्त:-**चतुर बिहारी अगरिया पुत्र रामप्यारे अगरिया निवासी मचबन्धवा थाना बभनी जनपद सोनभद्र।

**मा0 न्यायालय द्वारा पारित सजा का विवरण:-**

**धारा 302 IPC में**

- आजीवन कारावास
- ₹10,000/- का अर्थदण्ड

**सजा दिलाने में सराहनीय भूमिका:-**

इस केस में थाना बभनी पुलिस, कोर्ट मोहरीर, अभियोजन पक्ष एवं जनपद मॉनिटरिंग सेल की संगठित व सतत प्रयासों से न्यायालय में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिससे अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया।